न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–58 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 201)

1. राधेश्याम मीना पुत्र श्री अम्बालाल, मीना जाति मीना निवासी ग्राम नगरियावास, तहसील लालसोट जिला दोसा, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. रामराज पुत्र जयनारायण, जाति मीना निवासी ग्राम भैरूवास तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लालसोट जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री जगदीश प्रसाद जाट एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री आलौक चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 27.12.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 23.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलबी हेतु नोटस जारी करने के आदेश जारी किये गये। दिनांक 27.02.2023 को तहसीलदार की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई तथा दिनांक 13.05.2023 को अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एवं बिना कानूनी एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर प्रभावित होने वाले खातेदार अपीलान्ट को व अन्य को बिना पक्षकार संयोजित किये ही बाला–बाला दिनांक 13.05.2023 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, जो आदेश विधि–विधान, पत्रावली तथ्यों के विपरित होने, विवाद के वास्तविक बिन्दू को समझे बिना कतई गलत, मनमाना निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम भैरूवास के खसरा नम्बर 113 / 1 अपीलान्ट का है तथा अपीलान्ट के पड़ौस में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खसरा नम्बर 117 / 1 स्थित है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने वाले पक्षकारों को बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये ही उक्त अपीलाधीन आदेश मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नाजायज लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया है, जो किसी भी अवस्था में बहाल नही रखा जा सकता। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्व रिकार्ड नक्शा में अपीलान्ट का खसरा नम्बर 113 / 1 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खसरा नम्बर 117 / 1 के पूर्वी दिशा में स्थित था तथा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

– मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अपीलान्ट का खसरा नम्बर 113/1 का मौका एवं जगह ही परिवर्तन कर दी गई जो राजस्व कर्मचारियों की साफ मिलीभगत को दर्शाता है। इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया तथा दिनाक 29.06.2023 को विवादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके साथ कुछ अन्य लोग द्वारा भूमि की नाप–जोख कर तारबन्दी करने का प्रयास किया तो अपीलान्ट ने उनसे इसका कारण पूँछा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कहा कि मेरी जमीन को मैने नक्शे में परिवर्तन करवा लिया है जिस पर अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु दिनांक 30.06.2023 को आवेदन किया तथा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 04.07.2023 को प्राप्त हुई जिसके बाद उक्त अपीलाधीन आदेश के बारे में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी राय व सलाह लेकर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र बाबत इजाजत अपील अलग से प्रस्तुत किये गये है। इसलिये उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र बाबात इजाजत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाये जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 10/2023 उनवान रामराज बनाम राजस्थान सरकार में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि भूमि विवादग्रस्त सिवायचक भूमि रही है जिसका पूर्व में खसरा नम्बर 1 रहा है। जो भिन्ना–भिन्न लोगों को आवंटन के जरिये प्राप्त हुई तथा रेस्पोडेन्ट को यह भूमि जरिये आवंटन तथा विक्रय पत्र द्वारा आई हुई है। खसरा नम्बर 1 राज्य सरकार की भूमि थी जिन पर कई लोगों के कब्जे थे जिनमें रेस्पोडेन्ट रामराज का भी कब्जा था और उनको 5 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 118/1 है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट राधेश्याम, रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जयनारायण का बड़ा भाई है तथा अपीलान्ट राधेश्याम के पास कोई जमीन नही होने के कारण और अपीलान्ट की आर्थिक हालत देखते हुए प्रेमवश 8 बीघा भूमि का विक्रय पत्र अपने नाम तत्कालिन खातेदार मजीद खॉ से करवाया था जिसमें 3 बीघा भूमि जो राधेश्याम के नाम विक्रय करवाई गई उसके पैसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जयनारायण ने दिये थे। अपीलान्ट राधेश्याम विक्रय पत्र होने के पश्चात् भी भूमि का कब्जा अपने पास में नही रखा तथा उक्त 3 बीघा भूमि पर कालबेलियो/बागरियों परिवारों ने कब्जा कर लिया। उक्त 8 बीघा भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 113/1 है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जयनारायण ने इस 8 बीघा भूमि में से अपने नाम हुए विक्रय पत्र के अनुसार 5 बीघा भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा आज दिन तक वह इस भूमि पर काबिज है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके पिता जयनारायण के पास 15 बीघा

प्रमाणित संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

भूमि पर कब्जा है तथा राजस्व रिकार्ड में 15 बीघा भूमि इन दोनों के नाम दर्ज है किन्तु अपीलान्ट ने पुरानी नक्शा शीट को देखकर राजस्व एजेन्सियों से साज कर खसरा नम्बर 113/1 की गलत तरमीम करवा ली तथा राजस्व रिकार्ड के नाम का फायदा उठाकर इस भूमि पर कब्जा कर 3 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट से प्राप्त करना चाहता है जबकि राधेश्याम की 3 बीघा भूमि बागरिया समाज के कब्जे में है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 118/1 के पुराने खसरा नम्बर 1/107 है जो 8 बीघा का ही है जिसकी नक्शा शीट में तरमीम भी हो रखी थी तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 113/1 के पुराने खसरा नम्बर 1/7 है थे जिसकी तरमीम भी हो रखी थी और इसी प्रकार खसरा नम्बर 117/1 के पुराने खसरा नम्बर 1/106 है जिसकी तरमीम भी सही हो रखी थी परन्तु अपीलान्ट ने राजस्व एजेन्सी से साज कर उसकी तरमीम नई नक्शा शीट में गलत जगह करवा ली तथा रेस्पोडेन्ट की जमीन हड़पने की कोशिश में लग गया तथा अपीलान्ट आऐ दिन रेस्पोडेन्ट से झगड़ा फसाद करने लग गया जिससे परेशान होकर रेस्पोडेन्ट ने अपने नम्बर की तरमीम दुरूस्ती के लिऐ प्रार्थना पत्र अधीनस्थ के समक्ष पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने मौका देखकर तत्पश्चात् अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो सही व उचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काश्त पेसा व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी व अधिपत्य की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 118/1 रकबा 1.2645 हैक्टयर वाके ग्राम भैरूवास तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि में काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होता आ रहा है किन्तु राजस्व कर्मियों द्वारा उक्त भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति से भिन्न जाकर बिना किसी सूचना व सुनवाई के गलत तरमीम कर दी गई थी जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को होने पर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों की प्रतियॉ प्राप्त होने पर गलत तरमीम का आभास होने पर दिनांक 17.01.2023 को रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त तरमीम को शुद्ध करवाने हेतु तहसीलदार लालसोट को शिकायत की तो उन्होने कोर्ट में जाकर चाराजोही करने की सलाह दी एवं कोर्ट से ही तरमीम शुद्ध करने के आदेश के बाद ही तरमीम शुद्ध करने का कथन करते हुये सीधे ही तरमीम करने में असमर्थता जाहिर करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने हक, हकूकों की रक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी होने पर प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार लालसोट से भूमि विवादग्रस्त के मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट तलब करने के पश्चात् ही प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया गया है जो विधि सम्मत है एवं जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट को किसी प्रकार के उजराज करने का अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी की एवं रेस्पोडेन्ट की आराजी की सीमाऐं एक

P.T.O.

दुसरे की आराजी से लगते हुए है तथा हस्तगत प्रकरण में तरमीम सम्बन्धी होने वाले आदेश से अपीलान्ट सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार है किन्तु अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें भी है जिनमें अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश किया गया तथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का स्कोप बहुत संक्षिप्त है जिसके तहत केवल लिपिकीय त्रुटियौ को ही दुरूस्त कराया जा सकता है किन्तु हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट में कही भी यह नही बताया गया है कि प्रकरण में सैटलमेन्ट के दौरान क्या त्रुटि की गई बल्कि तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा इत्यादि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान नक्शा सीट की तरमीम को निरस्त कर पुनः मौका स्थिति अनुसार एवं वास्तविक रकबेनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट में तरमीम किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधित प्रावधानों के अनुरूप नही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न्यायालय हाजा के समक्ष सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति एवं सेटलमेन्ट पश्चात् की गई त्रुटियों को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.05.2023 को निरस्त किया जाता है।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त
जयपुर।